राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(6)गृह–1/2024 (20504)   जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

<u>आदेश</u>

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 11.02.2025 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सलेक्शन स्केल की** निम्नांकित वर्षो के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन एतद्द्वारा किया जाता हैः–

<u>वर्ष 2021–22 :–</u>

श्री मनोज शर्मा/श्रीराम शर्मा को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री अमर सिंह/पाबू सिंह के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री सेठाराम/शंकर राम के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

श्री प्रमोद कुमार स्वामी को पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री जीवन सिंह/नारायण सिंह के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2021–22 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र जांगिड़/ब्रम्हदेव के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

<u>वर्ष 2023–24 :–</u>

श्री सेठाराम/शंकर राम को वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री राजेश वर्मा/पदमचन्द (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री रामचन्द्र सिंह/रामदेव सिंह के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

श्री सुरेश चन्द्र जांगिड़/ब्रम्हदेव को वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सेठाराम/शंकर राम के उपर निर्धारित की जाती है।

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री नवाब खॉ/हासम खॉ के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

श्री गोपाल लाल/मांगीलाल (एससी) को वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री सुरेश कुमार/केशरदास (एससी) के उपर निर्धारित की जाती है।

श्री नरेन्द्र सिंह मीणा (एसटी) को वर्ष 2023–24 में अनारक्षित की रिक्ति के विरूद्व पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र सिंह नैन के उपर निर्धारित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Rajoria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.02.28 18:32:04 IST
Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324

D:\ JHALA2020\DPC 2022-23\Promotion Order

RajKaj Ref No.: 13856469

सामान्य की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2023–24 की चयन सूची से अंतिम चयनित अधिकारी श्री ताराचंद/जगदेवाराम के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है।

उक्त अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यभार ग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Rajoria
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2025.02.28 18:32:04 IST
Reason: Approved

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324